न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—02 सन् 2021

राम विनोद सिंह व अन्य..........................वादीगण।

बनाम

बासमती देवी वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 29.08.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दिनांक 05.07.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0 01 बासमती देवी मोकदमा हाजा की मृत्यु दिनांक 15.12.2020 को ग्राम—फुलवरिया, थाना—मकेर, पो0—फुलवरिया, जिला—सारण में हो जाने की सूचना प्रतिवादी द्वारा ही दिनांक 09.08.2021 को न्यायालय में दिया गया। बासमती देवी प्रतिवादी सं0 01 के वारिसान पूर्व से ही वाद में पक्षकार हैं। इसलिए इस वाद से बासमती देवी का नाम कलमजद करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादपत्र से प्रतिवादी सं0 01 बासमती देवी का नाम कलमजद करने की कृपा की जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को प्रतिउत्तर दिनांक 28.07.2022 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण ने दिनांक 05.07.2022 प्रतिवादी बासमती देवी के नाम को कलमजद करने हेतु आवेदन दाखिल किया है वह न्यायाहित में स्वीकार होने योग्य नहीं है। प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन प्रतिवादी बासमती देवी के मृत्यु के बहुत दिनों के बाद दाखिल किया है जो नियमानुकूल

नहीं है। प्रतिवादी बासमती देवी की मृत्यु की सूचना दिनांक 09.08.2021 को कर दिया गया था लेकिन जानबूझकर देर से आवेदन दिया गया है। अतः निवेदन है कि वादीगण की ओर से दाखिल दिनांक 05.07.2022 को खारिज कर दिया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0 01 बासमती देवी की मृत्यु दिनांक 15.12.2020 को हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 01 के वारिसान पूर्व से ही इस वाद में प्रतिवादी हैं। वादी की ओर से यह आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन को 200/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।
वाद दिनांक ....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज
सोनपुर सारण।